

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(1)न्याय/19

जयपुर, दिनांक: 19.01.2021

:: आज्ञा ::

राजस्थान विधि सेवा के श्री नंद गोपाल गोयल, उप विधि परामर्शी, कार्यालय विशिष्ट शासन सचिव, विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को अपने पद के कार्य के साथ-साथ उप विधि परामर्शी राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी (राजमेस) के रिक्त पद पर अतिरिक्त कार्य किये जाने हेतु तुरन्त प्रभाव से निर्देशित किया जाता है।

श्री मनोज बंशीवाल, वरिष्ठ विधि अधिकारी हाल सहायक विधि परामर्शी, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17.10.2019 के द्वारा वरिष्ठ विधि अधिकारी, रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ मुख्यालय जयपुर का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादन करने हेतु निर्देशित किया गया था, को प्रशासनिक कारणों से अतिरिक्त कार्यभार सम्पादन करने के लिए गये निर्देशों को निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से

(पुरुषोत्तम लाल सैनी)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. निदेशक, राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी (राजमेस), जयपुर।
4. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी अतिरिक्त कार्य के स्थान पर कार्यग्रहण कर रिपोर्ट इस विभाग को अविलम्ब भिजवाये।
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव